तामील हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख हुक्म जो हुक्म में पूरा हुआ

23/10/19 — अभिभाषक उपस्थित प्रार्थीगण श्री ओ० प्रकाश
बाहर — पक्षकार हाजिर न उपस्थित गए।
अधीक्षण लिपिक 7/11/19 को पेश हो।
हमीमित एडीशनल सेशन जज (फास्ट ट्रेक) कल्ला किलाराय
शाम 4 बजे

7/11/19 अभि० उभयपक्ष उप० हैं। प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण का मुख्य रूप से कथन है कि प्रार्थीगण के कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजीयात खाता सं० 17 में आराजी ख० नं० 487 व खतौनी सं० 16 में दर्ज आराजी ख० नं० 169/1.29, 170/0.18, 171/0.87, 172/0.52 किता 4 रकबा 2.86 है० वाके ग्राम खेड़ूल्या खुर्द तहसील सोडा-रामसिंह में स्थित है। जिसमें प्रार्थीगण का हिस्सा 1/2 व ख० नं० 487 रकबा 0.01 है० में हिस्सा सम्पूर्ण दर्ज रिकार्ड है। जिसको प्रार्थीगण काश्त कर उपभोग उपभोग करते आ रहे हैं। प्रार्थीगण की उक्त खातेदारी की आराजियात से अप्रार्थीगण का कोई सम्बन्ध सरोकार किसी प्रकार का नहीं है। ख० नं० 487 में प्रार्थीगण का एक नाह बना हुआ है। जिससे प्रार्थीगण अपनी आराजी की सिंचाई करते चले आ रहे हैं। तथा फसल लाभांश प्राप्त करते आ रहे हैं। उक्त गै० मु० नाह व ख० नं० 169, 170, 171, 172 में दर्ज हिस्सा प्रार्थीगण 1/2 से अप्रार्थीगण का कोई लेना देना किसी किस्म का नहीं है। अप्रार्थीगण संख्या व बल से अधिक होने से प्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज गै० मु० नाह के उपभोग उपयोग व सिंचाई में बाधा पहुंचाने व कब्जे काश्त में बेजाम्जाहमत करने की चेष्टा करते हैं। जिसका उनको कानून कोई अधिकार हासिल नहीं है। दि० 14/6/2017 को प्रार्थीगण अपने कब्जे काश्त व खातेदारी की उक्त आराजी पर खरीफ करने गये तो अप्रार्थीगण आड़े फिर गये व लड़ाई झगड़ा करने लगे व बेजाम्जाहमत करने लगे कि हम तुम्हारे 1/2 है० की आराजी से बेदखल कर देंगे व तुम्हें आपका काश्त नहीं करने देंगे। बेदखल करके रहेंगे व गै० मु० नाह से तुम्हें सिंचाई नहीं करने देंगे। हम हमारी आराजी की सिंचाई करेंगे व बेजाम्जाहमत की अर्जी दो। इसलिए प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का पेश करना लाजिम आया। यदि अप्रार्थीगण को रोकने बाद जीपे अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द नहीं किया जाय तो उनकी बेजा हरकतों की वजह से प्रार्थीगण को अकबतीय हानि होगी जिसकी पूर्ति किसी भी रूप में संभव नहीं हो सकेगी। दावा कायम करने का अभिप्राय: ही समाप्त हो जायेगा। प्रथम दृष्टया केस व सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में बखूबी साबित है अत: प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को जीपे अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द फरमाया जावे कि वो आ० ख० नं० 487 रकबा 0.01 है० में गै० मु० नाह हि० सम्पूर्ण व आ० ख० नं० 169 रकबा 1.29 है०, 170 रकबा 0.18 है०, 171 रकबा 0.87 है०, 172 रकबा 0.52 है० कुल किता 4 रकबा 2.86 है० वाके ग्राम खेड़ूल्या खुर्द में प्रार्थीगण का 1/2 हि० में कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज (3)	नम्बर व तारीख हुक्म जो हुक्म में पूरा हुआ

में जबरन बेजाम्जाहमत नहीं करें। काश्त करने से मना नहीं करें। गै० मु० नाह से सिंचाई करने से मना नहीं करें। बेदखल नहीं करें। स्वयं जबरन कुए से पानी नहीं निकालें व अपने खेतों की सिंचाई नहीं करें। प्रार्थीगण को उनके हिस्से में फसल काश्त करने, फसल बोने, काटने, घर ले जाने में किसी प्रकार से बेजा हस्तक्षेप नहीं करें। उपभोग उपयोग से मना नहीं करें। प्रार्थीगण को किसी प्रकार से क्षति नहीं पहुंचावें।)

प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण पेश होने पर तलबी अप्रार्थीगण की गई। अप्रार्थीगण ने जवाब पेश कर लिखे कथन किया कि आराजी ईकार की बनाई बसाई हुई थी। ईकार के पन्ना व चन्ना हुए। पन्ना के बालू हुआ। बालू के नन्दा व नारायणी थी तथा चन्ना के काना, नगदीश, पांचू हुए। पांचू फौत हो गया था सावित्री ख० नं० 66 रकबा 11.06 बीघा है प्रार्थीगण का उक्त आराजी में 1/2 हि० में से 1/4 हि० है एवं 1/4 हि० अप्रार्थीगण का है। इसी अनुसार मौके पर प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण काश्त करते हैं। वास्तविक स्थिति यह है कि उक्त आराजी ईकार के द्वारा बनाई बसाई थी। ईकार के दो लड़के पन्ना व चन्ना थे। चन्ना कर्ता खानदान था उसने ईकार के मरने के बाद उक्त आराजी अकेले के नाम लगवा ली जबकि उक्त आराजी में पन्ना के नाम भी लगनी चाहिए थी। जबकि मौके पर प्रार्थी अपने हिस्से की आराजी में 3 बीघा ही काश्त करते थे। शेष तीन बीघा अप्रार्थीगण काश्त करते थे। हुआ भी दोनों पक्षों का आधा-आधा है। इसमें प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण दोनों अपने हिस्से के अनुसार काश्त में लेते थे। दि० 14.6.2017 को प्रार्थीगण को काश्त करने हेतु गये। उनके आड़े फिरने का रोकने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। प्रार्थीगण इस जा०पत्र की आड़ में अप्रार्थीगण के कब्जे की जमीन पर कब्जा करना चाहते थे जिसका उनको कोई अधिकार हासिल नहीं था। प्रार्थीगण को अपने हिस्से में सिंचाई करने से अप्रार्थीगण ने कभी मना नहीं किया। प्रार्थीगण उक्त जा०पत्र की आड़ में अप्रार्थीगण के समय की आराजी से बेदखल कर देंगे। जिससे अप्रार्थीगण को नाकाबिले तलाफी नुकसान न होकर अप्रार्थीगण को होगा। जिसकी क्षति पूर्ति आर्थिक रूप में कतई संभव नहीं हो सकेगी। दि० 14/6/17 को कोई विवाद मूल उत्पन्न नहीं हुआ। अत: प्रार्थना पत्र अप्र हर्जा खर्चा के खारिज फरमाया जावे।

प्रार्थीगण ने जा०पत्र के समर्थन में फोटो प्रति नकल जमाबंदी रोजनामचा सं० 16, 17 जमाबंदी सं० 2011-12 वाके ग्राम खेड़ूल्या खुर्द, निर्णय उतवारी प्रकरण सं० 193/2014 दि० 9/6/17 दावा बाबत इन्द्राज डोकरी, इस्तकरारनामा नन्दा वगैरह बनाम काना वगैरह अप्र डिक्री तथा मु० नं० 177/2014

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षरात जज	नम्बर व तारीख हुक्म जो हुक्म की तामील में जारी हुए

तिथि दि० 3/6/17 उनवानी नन्दा वगैरह बनाम लाला वगैरह वाद घोषणा खातेदारी व इन्जाम हैसियत दरज रजिस्टर, मुद्दई प्रार्थना पत्र मौजा एवं, नालिश मुद्दई पक्ष पेश 28.6.18 मार्फत पंचायत लक्ष्मीपुरा (आजमगढ़) पेश किये।

वादी श्री० अमरनाथ सुनी गयी जो मुकदमा उक्त के वाद पत्र एवं बयान के अनुसार सही है। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। मौके पर गवाह किया। वादग्रस्त आराजियात मुताल्लिक राजस्व रिकार्ड नकल नक्शाबंदी खतौनी सं० 18 नक्शाबंदी एवं खाता 2071-74 आ० ख० नं० 169 (1.29), 170 (0.18), 171 (0.87), 172 (0.52) किता 4 रकबा 2.86 है० वाले ग्राम के हल्का खुर्द में प्रार्थीगण के नाम 1/2 हि० दर्ज खातेदारी है तथा शेष 1/2 हि० अमरनाथ, आत्माराम, मुल्ला पि० रतनलाल वगैरह के खातेदारी में दर्ज है तथा मुताबिक खतौनी सं० 17 नक्शाबंदी एवं खाता 2071-74 के हल्का खुर्द के अनुसार आ० ख० नं० 487 रकबा 0.01 है० जो मु० चाह अन्य आराजियात के साथ प्रार्थीगण के नाम एकमुश्त हिस्सा दर्ज है। अर्थात् प्रार्थीगण वादग्रस्त आराजियात के रिकार्डेड खातेदार हैं। अप्रार्थीगण का वादग्रस्त आराजियात से कोई लेना देना या सरोकार वास्ता किसी किस्म का नहीं होना जाहिर है। पत्रावली पर उपलब्ध नकल आदेश दि० 3/6/17 उनवान सं० 133/2014 उनवानी नन्दा वगैरह बनाम लाला वगैरह दावा बाबत इन्द्राज खाता रकबा शतकरारहक आ० ख० नं० 487 रकबा 0.01 है० के वादग्रस्त आराजियात के संबंध में अप्रार्थीगण व उनके पूर्वजों की ओर से प्रस्तुत वाद खारिज हुआ है तथा एक अन्य वाद सं० 177/2014 नन्दा वगैरह बनाम लाला वगैरह वादग्रस्त आराजियात श्री आदेश दिनांक 3/6/2017 के द्वारा घोषणा खातेदारी इन्द्राज हैसियत का भी खारिज हुआ है। जाहिर है कि वादग्रस्त आराजियात से अप्रार्थीगण का कोई वास्ता व लेना नहीं है क्योंकि प्रार्थीगण वादग्रस्त आराजियात के रिकार्डेड खातेदार हैं जिनको अपने खातेदारी अधिकारों की सुरक्षा हेतु निषेधाज्ञा जारी करवाने का कानूनन अधिकार है। प्रार्थीगण रिकार्डेड खातेदार होने से अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नहीं करने की सूरत में उन्हें अपूरणीय हानि होना भी जाहिर है। प्रार्थीगण का केस प्रथम दृष्टया साबित है तथा सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में प्रबल है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण के विरुद्ध स्थायी निषेधाज्ञा उक्त आराजी की जारी की जाती है कि वे आ० ख० नं० 487 रकबा 0.01 है० उसमें व आ० ख० नं० 169 रकबा 1.29 है०, 170 रकबा 0.18 है०, 171 रकबा 0.87 है०, 172 रकबा 0.52 है० कुल किता 4 रकबा 2.86 है० के हिस्से 1/2 में प्रार्थीगण के कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी में जबरन मजाहमत नहीं करें। काश्त करने से मना नहीं करें। मु० चाह से सिंचाई करने से मना नहीं करें। बेदखल नहीं करें। रास्ते नाला कुए से पानी नहीं निकालें व अपने खेतों की सिंचाई नहीं करें। प्रार्थीगण

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षरात जज (2)	नम्बर व तारीख हुक्म जो हुक्म की तामील में जारी हुए

को उनके हिस्से में फसल काश्त करने, फसल बोने, काटने, खाने से जाने में किसी प्रकार से मना हस्तक्षेप नहीं करें। उपयोग उपयोग से मना नहीं करें। प्रार्थीगण को किसी प्रकार से क्षति नहीं पहुंचावें। पत्रावली के सब सुमार होकर दर्ज रजिस्टर से खारिज हो। आदेश आज दिनांक 23/11/2013 को विवृत न्यायालय में सुनाया गया। संलग्न मूल वाद रहे।

(अमरनाथ गुप्ता)
उपखण्ड अधिकारी
होडाल (पलवल)